संचालनालय
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, श्रम विभाग

इंद्रावती भवन, ब्लॉक–सी, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
Email ID – **esiservices.raipur@gmail.com, Phone - 0771-2510225**

नि.सू0 क्रमांक / न–3–16 / प्रदाय / 2022 / 540 **नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक** 25/06/24
प्रति,

एन.आई.सी. प्रभारी
श्रमायुक्त कार्यालय
इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– दर निर्धारण, इम्पैनलमेन्ट एवं निविदा हेतु आमंत्रण सूचना श्रम विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी हेतु शासकीय कार्य उपयोगार्थ वाहन किराये पर लिये जाने के लिये दर निर्धारण एवं इम्पैनलमेंट हेतु एवं प्रतिष्ठित संस्थान / ट्रेवल्स एजेंसी से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जानी है। इस संबंध में निविदा सूचना श्रम विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

बीमा चिकित्सा पदाधिकारी
प्रथम श्रेणी, संचालनालय
क.रा. बीमा सेवायें,
नवा रायपुर, अटल नगर।

छ.ग.कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी

इंद्रावती भवन, ब्लॉक–सी, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Email ID – **esiservices.raipur@gmail.com, Phone - 0771-2510225**

नि.सू0 क्रमांक/न–3–16/प्रदाय/2022/   नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक.........................

निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा छ.ग. कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी हेतु विभिन्न शासकीय कार्यो के लिये वाहन किराये पर लिया जाना प्रस्तावित है। अतः पंजीकृत इकाईयो द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र	पुर्न निविदा क्रमांक	निविदा का संक्षिप्त विवरण	धरोहर राशि (रू)
1.	निविदा सूचना क्रमांक/न–3–16/प्रदाय/2022	किराये पर वाहन लेने हेतु दर निर्धारण (इम्पैनलमेंट)	1,00,000/–

छ.ग. कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी हेतु शासकीय कार्य उपयोगार्थ वाहनों को दैनिक, मासिक दर पर किराये पर लिये जाने हेतु दर निर्धारण, इम्पैनलमेंट हेतु आवश्यक शर्तें

नियम एवं शर्ते :–

1. किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। इन वाहनों के पंजीयन संबंधी दस्तावेजों की प्रतिलिपि अनिवार्यतः प्रस्तुत की जावें।

2. वाहन के समस्त दस्तावेज जीवित बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) तथा फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी का भुगतान वाहन मालिक द्वारा जावेगा। बीमा संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि जमा किया जाये।

3. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने पर कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।

4. किराये की अवधि में वाहन आबंटित अधिकारी के आधिपत्य में रहेगा तथा फर्म के द्वारा अपने निजी प्रयोजन अथवा कार्यालय से हटकर अन्य कार्य हेतु वाहन का उपयोग किया जाता है, जो तत्काल प्रभाव से वाहन हटा दिया जावेगा।

5. वाहन की मरम्मत, रख–रखाव दुर्घटना दावा एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा।

6. उपयोग के दौरान वाहन के खराब होने की स्थिति में समतुल्य वाहन तत्काल उपलब्ध कराना होगा। वाहन तत्काल उपलब्ध न कराये जाने पर उक्त दिवस की राशि कटौती की जाएगी। यदि कार्यालय द्वारा वाहन की व्यवस्था की जाती है, तो व्यय पूर्ति की जवाबदारी फर्म की होगी।

7. वाहन का उपयोग अवकाश दिवसों पर भी किया जावेगा। यदि उक्त दिवसों पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो मासिक दर के आधार पर प्रति दिवस राशि की गणना कर कटौती की जावेगी।

8. फर्म के द्वारा वाहन चालक के संबंध में जानकारी (आधारकार्ड, वैध ड्रायविंग लाइसेंस, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति) उपलब्ध करायी जाए। वाहन चालक यातायात नियमों का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। कम से कम 03 वर्ष वाहन चलाने का अनुभव हो तथा वाहन चालक के विरूध्द किसी प्रकार का आपराधिक/दुर्घटना प्रकरण दर्ज न हो।

9. वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को संधारित करना होगा एवं उपयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा।

10. लॉग बुक की सत्यापित छायाप्रति के साथ देयक एक प्रति में प्रस्तुत करना होगा। फर्म द्वारा बैंक खाते का विवरण कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

11. देयक के भुगतान में नियमानुसार आयकर एवं जी.एस.टी. की कटौती की जावेगी।

12. वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन, भत्ता आदि) फर्म द्वारा देय होगा।

13. वाहन चालक के अवकाश पर रहने या अस्वस्थ होने पर फर्म के द्वारा तत्काल दूसरे अर्हताधारी वाहन चालक की व्यवस्था की जायेगी।

14. दर निर्धारण पश्चात् नियत अवधि हेतु कार्यादेश दिया जावेगा। कार्यादेश में उल्लेखित शर्तो का एजेंसी के द्वारा उल्लंघन करने पर सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी। किसी भी समय कार्यादेश रद्‌द करने का अधिकारी कार्यालय प्रमुख के पास सुरक्षित होगा।

15. नियत अवधि में पेट्रोल/डीजल के दर/टैक्स/जी.एस.टी. में वृध्दि होने पर बढ़े हुए दर से भुगतान का दायित्व वाहन आपूर्तिकर्ता फर्म का होगा।

16. उपयोग किए जाने वाले वाहन के प्रकार का निर्धारण करने का अधिकार कार्यालय को होगा।

17. वाहनों के दरों के निर्धारण पश्चात् फर्म द्वारा राशि 1,00,000/—रू. का सावधि जमा, किराये से वाहन प्राप्त करने वाले अधिकारी के पदनाम से धरोहर/अमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। उक्त फर्म का वाहन जब तक कार्यालय में उपयोग किया जाएगा, तब तक उक्त राशि जमा रहेगी। फर्म के द्वारा कार्यालय से वाहन हटाये जाने के पश्चात्

ही अमानत राशि फर्म को वापस की जावेगी। शर्त के उल्लंघन पर अमानत राशि जब्त किया जायेगा।

18. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेवल्स एजेंसी/फर्म की होगी। अनुपलब्धता की स्थिति में उनके विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा अन्य एजेंसी/फर्म से वाहन प्राप्त किया जायेगा।

19. वाहन किराये पर उपलब्ध कराने के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय कार्यालय प्रमुख द्वारा लिया जाएगा। उनका निर्णय अंतिम व उभय पक्ष को मान्य होगा।

20. मासिक किराया दर में वाहन अधिकतम 2000 कि.मी. चलित दौरा सम्मिलित है, जिसमें पेट्रोल/डीजल फर्म के द्वारा देय होगा। मासिक 2000 कि.मी. से अधिक चलने पर निर्धारित दर से अतिरिक्त किराया देय होगा।

21. वाहन में फास्टेग की सुविधा अनिवार्य होगी तथा इसका रिचार्ज अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा किया जावेगा।

22. वाहन उपलब्ध कराने वाले फर्म को कार्यालय प्रमुख के साथ शर्तो के अनुरूप अनुबंध निष्पादित करना होगा।

23. निविदाकार का स्वयं के नाम अथवा फर्म के नाम से कम से कम 10 वाहनों का पंजीयन होना तथा फर्म का ESIC एवं PF में पंजीयन होना आवश्यक है।

बीमा चिकित्सा पदाधिकारी
प्रथम श्रेणी, संचालनालय
क.रा. बीमा सेवायें,
नवा रायपुर, अटल नगर।

<u>परिशिष्ट –अ</u>

वाहन किराये पर लिये जाने के लिए निविदा(इम्पैनल्ड) हेतु तकनीकी शर्त
छ.ग. कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी
(यह जानकारी पृथक लिफाफे में रखा जावे)
कंपनी द्वारा निम्नानुसार विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जावे –

<table>
<tr><td>1</td><td>फर्म / कंपनी का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>फर्म / कंपनी का पता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3</td><td>मोबाईल नंबर</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>टेलीफोन नंबर (STD कोड सहित)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ई–मेल(संबंधित व्यक्ति का)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">पेन नं. / टेन नं.(दस्तावेज संलग्न करे।)</td><td colspan="3">☐ हॉ ☐ नही</td></tr>
<tr><td>पेन नंबर –</td><td colspan="2">टेन नंबर–</td></tr>
<tr><td>7</td><td>निविदा प्रपत्र मूल्य जमा करने संबंधी रसीद / डी.डी. (संलग्न करें)</td><td colspan="3">☐ रसीद ☐ डिमांड</td></tr>
<tr><td>8</td><td>धरोहर राशि (एफडीआर संलग्न करें)</td><td colspan="3">रूपये 1,00,000 / – ☐ हॉ ☐ नही</td></tr>
<tr><td>9</td><td>परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त ट्रेवल्स लाईसेंस (दस्तावेज संलग्न करे)</td><td>☐ हॉ</td><td colspan="2">☐ नही</td></tr>
<tr><td>10</td><td>वार्षिक आय / व्यय का विगत 03 वित्तीय वर्ष का विवरण (दस्तावेज संलग्न करे)</td><td>वर्ष 2020–21</td><td>वर्ष 2021–22</td><td>वर्ष 2022–23</td></tr>
<tr><td>11</td><td>GST पंजीयन नंबर
(दस्तावेज संलग्न करे)</td><td>☐ हॉ</td><td colspan="2">☐ नही</td></tr>
<tr><td>12</td><td>03 वर्ष के टर्न ओवर सबंधी सी.ए. का प्रमाण पत्र (संलग्न करें)</td><td>☐ हॉ</td><td colspan="2">☐ नही</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">13</td><td rowspan="11">निविदाकार का स्वयं के नाम अथवा फर्म के नाम पर उपलब्ध 10 वाहन का विवरण, जिसका वर्ष 2020 में अथवा इसके उपरांत का पंजीयन हो</td><td>क्र</td><td>वाहन का प्रकार</td><td>वाहन का मॉडल वर्ष</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td></tr>
</table>

14	वाहन के पंजीयन/रोड टैक्स/ बीमा/ परमिट/ फिटनेस संबंधी (दस्तावेज संलग्न करे)					
क्र	वाहन पंजीयन क्र.	रोड टैक्स (हॉ/नही)	बीमा (हॉ/नही)	परमिट अवधि	फिटनेस अवधि	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

15	निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का विवरण (वर्ष 2020 के पहले के वाहन स्वीकार नही होंगे, यदि नवीन वाहन उपलब्ध कराया जावेगा तो उल्लेख करे)	
क्र	वाहन का प्रकार	वाहन का मॉडल वर्ष

16	उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन के पंजीयन/रोड टैक्स/ बीमा/ परमिट/ फिटनेस संबंधी (दस्तावेज संलग्न करे)				
क्र	वाहन पंजीयन क्र.	रोड टैक्स (हॉ/नही)	बीमा (हॉ/नही)	परमिट अवधि	फिटनेस अवधि

17	ESIC एवं कर्मचारी भविष्य निधि (PF) में पंजीयन संबंधी दस्तावेज संलग्न करें	☐ हॉ ☐ नही
18	GST Clearance Certificate ;GSTR-1 एवं GSTR-3B) की प्रमाणित प्रति संलग्न करें	☐ हॉ ☐ नही
19	INCOME TAX RETURN की प्रमाणित प्रति संलग्न करें विगत 03 वित्तीय वर्ष का विवरण	☐ हॉ ☐ नही
20	न्यूनतम 05 वर्ष शासकीय विभाग में कार्य के अनुभव के संबंध में विभाग के साथ अनुबंध	☐ हॉ ☐ नही

21	शासकीय अथवा निजी संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किये जाने तथा किसी प्रकार के	☐ हॉ ☐ नही			
22	इस निविदा में शामिल होने से संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति का नाम/पदनाम/पता/मो.नं.	क्र	नाम	पदनाम	पता एवं मो.नं.

(अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम – ....

दिनांक :– ....

पदनाम – ....

स्थान :– ....

कंपनी/फर्म का नाम – ....

कंपनी/फर्म की सील – ....

//परिशिष्ट–ब//

घोषणा पत्र

1. यह कि हमारी संस्थान को इस निविदा के तहत् प्रदाय की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये किसी भी संस्थान/व्यक्ति विशेष के द्वार मुकदमेबाजी एवं आरोप नहीं लगाया गया है।
2. यह कि हमारी संस्थान को किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपात्र (Black list) सूचीबद्ध नहीं है।
3. निविदा में दर्शित समस्त नियम एवं शर्तो को हमारी संस्थान द्वारा मान्य किया जावेगा।

वाहन मालिक/फर्म का नाम

नाम – ....

पता – ....

मो.न. – ....

(नोट – उपरोक्त घोषणा पत्र में दर्शित नियम एवं शर्तो को निविदाकर्ता द्वारा राशि रूपये 100/– के स्टॉम्प पेपर पर सहमति देना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट –'स'

वाहन का प्रकार एवं दर (सभी कर सहित)

वित्तीय दर संबंधी प्रपत्र :–

परिशिष्ट – ''स''					
प्रारूप – 1 दैनिक दर (सभी कर सहित)					
क्र	वाहन का विवरण	किराया प्रतिदिन 100 कि.मी.		अतिरिक्त किराया दर प्रति कि.मी.	
		वाहन चालक एवं पेट्रोल/डीजल सहित	वाहन चालक एवं पेट्रोल/डीजल रहित	वाहन चालक एवं पेट्रोल/डीजल सहित	वाहन चालक एवं पेट्रोल/डीजल रहित
1	2	5	6	7	8
1	Maruti Dzire/ Honda Amaze/ Tata Nexon				

प्रारूप – 2 मासिक दर (सभी कर सहित)					
क्र	वाहन का विवरण	किराया मासिक 2000 कि.मी. प्रतिमाह (सभी करों को समावेश करते हुए)		अतिरिक्त किराया दर प्रति कि.मी.	
		वाहन चालक एवं पेट्रोल/डीजल सहित	वाहन चालक एवं पेट्रोल/डीजल रहित	वाहन चालक एवं पेट्रोल/डीजल सहित	वाहन चालक एवं पेट्रोल/डीजल रहित
1	2	5	6	7	8
1	Maruti Dzire/ Honda Amaze/ Tata Nexon				